कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक :   दिनांकः 28.05.2019

तथ्यात्मक प्रतिवेदन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सलावदखुर्द से बड़ौदिया आन्तरी पैकेज नं. आर.जे.23–22 जिला कोटा सड़क निर्माण हेतु (4.896 हेक्टर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में)

उक्त कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 12.08.2005 को जारी की गयी थी जिसके अन्तर्गत 5.8 किमी सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। 3.30 किमी में बीटी/सीसी एवं 1.9 किमी डब्ल्यूबीएम का कार्य अक्टूबर 2006 में पूर्ण किया जा चुका था। वन भूमि आने के कारण कार्य उसी स्तर पर रोक कर वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्ताव तैयार कर लखनऊ भिजवाये गये। पर्यावरण एवं मंत्रालय लखनऊ द्वारा उनके पत्र क्रमांक क्रमांक 8/बी/राज/06/33/2008/एफसी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा 7 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी।

शर्त सं. 1 से 6 की पालना में राशि 4287269/– पत्र क्रमांक 627 दिनांक 25.03.10 द्वारा जमा कराये गये पुनः राशि 574553/– वन अधिकारी द्वारा मांगने पर दिनांक 30.01.2012 को जमा कराये गये। इस प्रकार राशि रू. 4861882/– जमा कराये जा चुके है तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2014 को अतिरिक्त मूल्यवृद्धि राशि 697573/– जमा कराने निर्देशित किया गया यह अन्तर राशि जमा नही कराये जाने के कारण अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर के पत्र क्रमांक 6947–48 दिनांक 26.10.2015 द्वारा पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को निरस्त कर दिया।

इसके उपरान्त उप वन संरक्षक कोटा के पत्रांक एफ ( ) वन संरक्षण/उ.ब.स./2016–17/7585–91 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा अन्तर राशि रू. 839807/– जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था इसी दौरान मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 राज0 जयपुर के पत्रांक एफ.–12(627)अनु.–2 पार्ट 1/2010/डी–1 दिनांक 11.04.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि कैम्पाफण्ड में राशि रू. 697328/– जमा करवा दिये गये है। अतः संशोधित डिमाण्ड दिनांक 13.05.2016 के अनुसार शेष राशि रू. 142479/– जमा कराई जानी थी जिसकी श्रीमान मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्रांक लैण्ड एक्यूजेशन/एस.ई.पी.एम.जी.एस.वाई/08–09/डी–616 दिनांक 14.03.2017 द्वारा प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर बिल नं. 975 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये थे। इसी प्रकार शर्त सं. 7 (दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए इसका वर्णन उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर उसकी फोटो प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है) की पालना हेतु श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त कोटा के पत्रांक 466 दिनांक 29.01.2014 द्वारा श्रीमान मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया है। शर्त सं. 7 हेतु मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 जयपुर से मार्गदर्शन अपेक्षित है।

अतः तथ्यात्मक प्रतिवेदन श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(एन.पी.डागल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी